कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक / 3293 / भू0अभि0 / लेखा / 2017 कोरबा दिनांक : 22-11-2017

प्रति,

महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद
छोटापारा, महिला थाना के पास
रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का लेमिनेशन किये जाने हेतु निविदा प्रकाशित करने बाबत्।**

––––000––––

मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का लेमिनेशन किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना है। निविदा सूचना के प्रारूप, निविदा के नियम एवं शर्ते एवं प्रपत्र–ब कोरबा के वेबसाइट korba.gov.in में उपलब्ध है।

अतः संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को 3 स्थानीय तथा 3 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में 03 दिवस के भीतर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न–प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / 3294 / भू0अभि0 / लेखा / 2017 कोरबा दिनांक 22-11-2017

प्रतिलिपि–

1. उप संचालक, जन संपर्क जिला कोरबा की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
2. जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र कोरबा की ओर जिला कोरबा के वेबसाइट में अपलोड करने बाबत्।

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

// निविदा के नियम व शर्तें //

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा की ओर से मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का लेमिनेशन किये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन दिनांक 11.12.2017 को समय 03:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा के नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

नियम व शर्तें :–

1– निविदा जमा करने वाले फर्म का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग छत्तीसगढ़ से होना अनिवार्य है।

2– निविदा जमा करने वाले फर्म को निविदा के साथ आयकर विवरण पत्रक वर्ष 2016–17 एवं वाणिज्यकर विभाग का निर्धारित प्रारूप में 'कर अदायगी' प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3– निविदाकर्ता फर्म को लेमिनेशन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। पूर्व में की गई कार्य का आदेश एवं किये गये कार्य अनुभव बाबत् दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। (कार्य आदेश/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4– निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा के नाम पर देय होगा।

5– इस कार्य के लिये सभी प्रकार की मशीन एवं कुशल कर्मचारियों इत्यादि सभी व्यवस्था संबंधित फर्म के द्वारा ही किया जाना होगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी ।

6– कार्य समय सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निविदाकार का होगा, कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा 3 माह होगी। समय सीमा में कार्य नही करने पर पेनाल्टी के रूप में प्रतिदिन 100/–की दर से राशि कटौती की जावेगी।

7– स्वीकृत न्यूनतम दर के आधार पर कार्य आबंटन का निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जावेगा। निविदाकारों द्वारा कार्य नियत समय में अनुंबध अनुरूप नही किये जाने पर निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार कलेक्टर कोरबा को होगा।

8– आवश्यकतानुसार प्रस्तुत निविदा दरों के संबंध में निविदाकारों से नेगोशिएशन किया जा सकेगा। नेगोशिएशन का अंतिम अधिकार कलेक्टर कोरबा को होगा।

9– जिस फर्म का निविदा दर स्वीकृत होगा, उसे 03 दिवस के भीतर 100/– रूपये के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के पश्चात् ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

10– कार्य गुणवत्ता अनुरूप नही होने की स्थिति में कुल भुगतान राशि में से नियमानुसार कटौती करने का अधिकार कलेक्टर कोरबा को होगा।

11– जिस निविदादाता फर्म का निविदा स्वीकृत नही होगा, उनकी अमानत राशि लौटा दी जावेगी और जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उनकी अमानत राशि अनुबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी।

12– स्वीकृत निविदाकार द्वारा यदि किसी कारण से अपनी निविदा वापस ले लिया जाता है, या निविदा के अनुसार कार्य नही कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात कर दी जायेगी और फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

13– जिस निविदाकर्ता फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है, उसे सूचना मिलने के 7 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) पर पहुंचकर अपना निविदा कार्य करना प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।

14– निविदा/कार्यादेश अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर कोरबा में निहित होगा एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र कोरबा, जिला कोरबा में होगा।

15– निविदा अंतिम तिथि को समय शाम 04:00 बजे या उसके अगले कार्य दिवस को समिति के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा खोले जाने के समय पर निविदा जमा कर्ता फर्म या फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

16– पृष्ठों की संख्या लगभग 21151 है। इसमें कमी या आधिक्य हो सकता है, जिसे निविदाकार को स्वीकार कर कार्य पूर्ण करना होगा।

17– कार्य पूर्णता पश्चात् संबंधित फर्म द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन कय समिति द्वारा किया जावेगा एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य पाये जाने पर ही नियमानुसार कटौतियों पश्चात् देयक का भुगतान किया जावेगा।

18– आबादी पट्टा का लेमिनेशन कार्य जिला कार्यालय कोरबा में निर्धारित कक्ष में करना होगा।

19– संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने वाले राशि में से नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

20– जो निविदा से निर्धारित अवधि के पश्चात व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त होगी उन पर विचार नही किया जायेगा।

21– निविदा निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्तुत् किया जाना अनिवार्य है।

22– लिफाफा "अ" में अमानत राशि एवं तकनीकी दस्तावेज तथा लिफाफा "ब" दरों से संबंधित होगा।

23– अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जावेगा उसे यह कार्य **Sublet** अथवा किसी अन्य को **Assign** करने का अधिकार नही होगा।

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)

//निविदा सूचना का प्रारूप//

निविदा विज्ञप्ति 3295 **दिनांक** 22-11-2017

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा की ओर से मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का लेमिनेशन किये जाने हेतु निम्न शर्तो के अध्याधीन दिनांक 11.12.2017 को समय 03:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र भू–अभिलेख कार्यालय के लेखा शाखा से आवेदन प्रस्तुत कर रूपये 1000/–का नगद भुगतान कर दिनांक 07.12.2017 समय दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
निविदा बिक्री की अंतिम तिथि–07.12.2017 समय दोपहर 3:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 11.12.2017 समय दोपहर 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि– 11.12.2017 समय शाम 4:00 बजे
स्थान–प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख कक्ष कोरबा
संलग्न–निविदा के नियम व शर्ते

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्रमांक/ 3296 /भू0अभि0/लेखा/2017 कोरबा दिनांक : 22-11-2017
प्रतिलिपि–

1. संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ कर लेख है, कि उपरोक्तानुसार निविदा के नियम एवं शर्तो का राज्य के वेबसाइट www.cg.gov.in एवं जिले.के वेबसाइट korba.gov.in में अपलोड करें।

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरबा की ओर से मुख्यमंत्री आबादी पट्टा का लेमिनेशन किये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन दिनांक 11.12.2017 को समय 03:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सूचना के प्रारूप, निविदा के नियम एवं शर्ते एवं प्रपत्र–ब कोरबा के वेबसाइट korba.gov.in में उपलब्ध है।

कलेक्टर
कोरबा (छ0ग0)